कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–एक, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर
(Telephone - 0771-2282549, helpline - 0771-2511594, email - rfs.cg@gov.in, website - rfas.cg.nic.in)

क्रमांक / शिका–1845 / 1835 /25 नवा रायपुर, दिनांक 17.11.2025

/ / आदेश / /

संस्था रायपुर प्रेस क्लब, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1973 (संशोधत–1998) के अधीन पंजीयन क्रमांक–1129 / 1968 पर पंजीकृत संस्था है, जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते है।

उक्त समिति में आदेश क्रमांक / शिका–1845 / 1269 / 25, दिनांक 16.09.2025 द्वारा समिति के पंजीकृत नियमावली के नियमों तथा वैधानिक सदस्यों के मध्य निर्वाचन 60 दिवस के भीतर कर जानकारी सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, रायपुर संभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये कार्यवाहक कार्यकारिणी को आदेशित किया गया था।

इस संबंध में कार्यवाहक अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को समक्ष में भी पंजीकृत नियमावली के नियमों तथा वैधानिक सदस्यों के मध्य निर्वाचन कराने, आदेश का पालन नियत समय में कराने से भी अवगत कराया गया था।

श्री मोहन तिवारी एवं अन्य की ओर से दिनांक 07.11.2025 एवं 10.11.2025 को शिकायत आवेदन प्रस्तुत किये, जिसमें निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति तथा मतदाता सूची में नये सदस्यों को जोड़कर मतदाता सूची का प्रकाशन के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किया गया। सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, रायपुर संभाग के पत्र क्रमांक / 1771 / 25, दिनांक 10.11.2025 के साथ शिकायत आवेदन पत्रों की प्रति कार्यवाहक पदाधिकारियों एवं निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित कर शिकायतों का निराकरण कर शिकायतकर्ता एवं इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु पत्र जारी किया गया।

श्री मोहन तिवारी एवं अन्य के द्वारा दिनांक 13.11.2025 आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें शिकायत आवेदनों का निराकरण किये बिना निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की तिथि दिनांक 23.11.2025 घोषित की गई है। अवैध मतदाता सूची एवं पंजीकृत नियमावली के प्रावधानों से परे जाकर निर्वाचन कराया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा शिकायत आवेदन ना तो प्राप्त किये जाते हैं और ना कार्यालय में उपस्थित रहते हैं, मनमाने तरीके से कार्यवाहक पदाधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध निर्वाचन कराया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

इस संबंध में दिनांक 13.11.2025 को श्री दामू आम्बेडारे के द्वारा दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसमें रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव हेतु अंतिम मतदाता सूची के संबंध में उनका नाम दर्ज नहीं होने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 13.11.2025 को एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए श्री दामू आम्बेडारे द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी सूचना दिनांक 10.11.2025 एवं 12.11.2025 मतदाता सूची को निरस्त घोषित कर पंजीकृत नियमावली के अनुसार बनायी गयी पूर्व मतदाता सूची के आधार पर निर्वाचन कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त निर्वाचन में व्यापक अनियमितता होने की आशंका को देखते हुए तत्काल प्रशासक नियुक्ति हेतु निवेदन किया।

दिनांक 13.11.2025 को श्री संदीप पुराणिक एवं अन्य 08 की ओर से आवेदन प्रस्तुत करते हुए कार्यालयीन आदेश दिनांक 16.09.2025 के उल्लंघन किये जाने तथा निर्देशों की अव्हेलना प्रक्रियागत अनियमितता किये जाने का उल्लेख किया है। दिनांक 16.09.2025 के पश्चात् नये सदस्यों को जोड़े जाने की प्रक्रिया जारी रखी गयी, वैद्य सदस्यों के नाम काटे गये, सदस्यता शुल्क निर्धारित सीमा से अधिक लिया गया। बिना पूर्व अनुमति के चुनाव अधिकारी नियुक्त किये गये, निर्वाचन अधिकारी श्री आशिफ इकबाल के द्वारा नाम जोड़ने एवं काटने का विवादास्पद कार्य किया। समिति प्रमुख को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, प्रकाशित मतदाता सूची पर दायर आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, रायपुर संभाग द्वारा जारी निर्देशों को लेने से इंकार किया, आदेश क्रमांक–1269, दिनांक 16.09.2025 के अनुरूप 60 दिनों के भीतर चुनाव संपन्न करने की समय–सीमा का उल्लंघन किया गया। 60 दिवस की समय–सीमा देने के बावजूद चुनावी प्रक्रिया की घोषणा जानबूझकर देर से शुरू की गई, जो कि शासकीय आदेश / निर्देशों की अव्हेलना है। रायपुर प्रेस क्लब के प्रबंधन ने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता व निष्पक्षता को संदेहास्पद बना दिया है। इस मनमान प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया है।

Scanned with OKEN Scanner

रायपुर प्रेस क्लब के द्वारा दिनांक 12.11.2025 को वर्ष 2025–26 की प्रकिया प्रारंभ होने की सूचना प्रदाय की गई है, जिसमें मात्र निर्वाचन कार्यक्रम तथा उनके द्वारा बनायी गयी मतदाता सूची की प्रति मात्र प्रस्तुत किये।

कलेक्टर, रायपुर, जिला–रायपुर के पत्र कमांक–304/अ.कले.(राय.)2025, दिनांक 13.11.2025 के अनुसार रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव हेतु विधि सम्मत एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराये जाने हेतु प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति संबंधी पत्र की प्रति प्रेषित करते हुए उक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त आदेश दिनांक 16.09.2025 में पंजीकृत नियमावली एवं वैधानिक सदस्यों के मध्य निर्वाचन के निर्देशानुसार नियत समयावधि 60 दिवस में निर्वाचन कार्यवाही पूर्ण कर जानकारी प्रस्तुत करने में संस्था कार्यवाहक कार्यकारिणी असफल रही। कार्यालयीन आदेश कमांक/शिका–1845/1269/25, दिनांक 16.09.2025 में जारी कार्यवाहक कार्यकारिणी के द्वारा 60 दिवस के भीतर निर्वाचन कराये जाने के निर्देश निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए संस्था के कार्यकारिणी का विधिवत् पारदर्शी निर्वाचन कराने की कार्यवाही के लिये छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1973 (संशोधित–1998) की धारा–33(ग) एवं पंजीकृत नियमावली के नियमों तथा वैधानिक मतदाता सूची में शामिल सदस्यों के मध्य कलेक्टर, जिला–रायपुर के द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी/राजस्व अधिकारी को कार्यकारिणी के निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। संस्था के कार्यकारिणी निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में संस्था की पारदर्शी निर्वाचन की कार्यवाही संपादित कराये जायेंगे। तदानुसार नियुक्त अधिकारी को निर्वाचन कार्य संपादित कराने संबंधी आवश्यक समस्त शक्तियॉ प्राप्त होंगी।

रजिस्ट्रार
o/c फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़

कमांक/शिका–1845/ 1836 /25 नवा रायपुर, दिनांक 17.11.2025
प्रतिलिपि–

1/ कलेक्टर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर समिति के निर्वाचन कराये जाने हेतु किसी डिप्टी कलेक्टर/प्रशासनिक अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का कष्ट करें।

2/ सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, रायपुर संभाग, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–एक, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं अधिकृत पर्यपेक्षक को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

3/ अध्यक्ष/सचिव, संस्था रायपुर प्रेस क्लब, रायपुर, मोतीबाघ चौक के पास, जिला–रायपुर की ओर निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर, जिला–रायपुर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर/प्रशासनिक अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्यकारिणी का पंजीकृत नियमावली के अनुसार पारदर्शी निर्वाचन करवाने सबंधी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

4/ श्री आसिफ इकबाल, निर्वाचन अधिकारी, रायपुर प्रेस क्लब, रायपुर, मोतीबाघ चौक के पास, तह व जिला–रायपुर की ओर निर्वाचन हेतु पर्यवेक्षक से संपर्क स्थापित कर निर्वाचन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

5/ श्री मोहन तिवारी एवं अन्य शिकायतकर्ता, रायपुर, तह व जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

रजिस्ट्रार
o/c फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़

Scanned with OKEN Scanner